INDIAN EXPRESS, Online, 17.10.2021
Page No. 0, Size:(18.26)cms X (23.49)cms.

## Human rights are sacred

https://indianexpress.com/article/opinion/columns/human-rights-pm-narendra-modi-7575390/

The Prime Minister expounded on his human rights misgivings at the 28th anniversary of the National Human Rights Commission. He said it was dangerous for democracy when human rights are 'selectively targeted'.

In a week when the son of a Bollywood superstar spent Dussehra in jail without being formally charged with a crime, it was surreal to hear the Prime Minister lecture us about how human rights activists are using this issue to 'malign' India. It is a real issue, Prime Minister. Clearly more real than you think. Aryan Khan's daddy is rich and can afford the best lawyers. But our jails are filled with hundreds of thousands of young men who spend months and years in jail simply because they cannot afford the price of Indian justice. Most Indians, including your columnist, baulk at the price lawyers charge for an appearance in court. So that most important of human rights, the right to justice, remains unavailable to nearly all Indians. It is this and the absence of other rights, that are taken for granted in democratic countries, that make India look bad. Not the noise made by human rights activists.

The Prime Minister expounded on his human rights misgivings at the 28th anniversary of the National Human Rights Commission. He said it was dangerous for democracy when human rights are 'selectively targeted'. Then he said something that was both intriguing and worrying. Human rights mattered only to people who already had the basics of life. He said, "A poor person who has to seek a recommendation to get a gas connection gets dignity when the connection reaches him through the Ujjwala Yojana." Here I agree with Mr Modi. If what he meant was that poverty is the worst violation of human rights, I am in full agreement. Where I part company with him is when he says that human rights do not matter to people who live in extreme poverty.

Has he totally forgotten the Emergency? Has he forgotten that the reason why Indira Gandhi and son lost their own seats in 1977 was because ordinary, very poor Indians felt that their rights had been taken from them when their men were carted off to be sterilized and when their homes were bulldozed to smithereens because Sanjay Gandhi wanted to beautify Delhi? Had these two policies not defined the Emergency in northern India, it is possible that Indira Gandhi would have won. We must not forget that in 1977 she won in the southern states where Sanjay's policies of family planning and 'resettlement' did not exist.

Human rights may not matter to the average Chinese because China has never been a democratic country. They matter very much in India because the roots of democracy have deep roots and if Mr Modi is angry about the ‘bad image’ that India has got, he has himself to blame. Since he became Prime Minister, he has shown that his government has no qualms about keeping students, dissidents, comedians and journalists in jail simply because they disagreed with his policies. When a judge in a Delhi court released some young people who have been in jail for more than a year without charges or a trial, he passed strictures against the Delhi Police for not doing their job well. Last week he was transferred to a lower court.

When it comes to using preventive detention laws as a weapon, the Prime Minister’s favourite Chief Minister, Yogi Adityanath, has gone ahead of him by not just jailing people who disagree with him but confiscating their properties as well. Some of the people who lost their properties were those who saw the Citizenship Amendment Act as discriminatory and took to the streets to protest. In view of the horrific incident on the Singhu border I hesitate to mention farmers, but they have been treated as criminals in both Uttar Pradesh and Haryana before last week’s horror.

In Modi’s ‘new India’, Bollywood is viewed as a den of vice. It has been under attack since last year when a young woman’s life was destroyed because her boyfriend, Sushant Singh Rajput, committed suicide. When they could not pin murder, robbery and abetment to suicide on Rhea Chakraborty, both she and her brother were jailed by the Narcotics Control Bureau (NCB) for purchasing and consuming banned substances. After spending some weeks in jail, they were quietly released. Aryan Khan could be in deeper trouble because the NCB is now trying to make the case that he had links with international drug traffickers. Has it occurred to the sleuths of this hyperactive bureau that international drug traffickers would try to stay as far away from the son of a Bollywood superstar as possible to keep attention away from their nefarious activities?

Last week, a spokesman of the NCB said that when it came to offences related to drugs, the laws of justice were reversed. Aryan is presumed guilty till he can prove his innocence. When I tweeted about the absurdity of this, I was immediately attacked by venomous trolls who said that I should know that this was a law made in Rajiv Gandhi’s time. Well, it is time for it to be changed. If the Prime Minister is truly concerned about India’s image in the world, he needs to be seen as a leader who cares about the protection of human rights, not as someone who sees them as an excuse to malign him. Human rights are more important in democratic countries than almost anything else for the simple reason that without sacrosanct human rights, there is no democracy.

SIASAT, Online, 17.10.2021
Page No. 0, Size:(18.39)cms X (22.30)cms.

## Why NHRC, headed by Arun Mishra, has maintained silence on Assam violence?

https://www.siasat.com/why-nhrc-headed-by-arun-mishra-has-maintained-silence-on-assam-violence-2208645/

The NHRC website reads that it is "an embodiment of India's concern for the promotion and protection of human rights."

On September 24, 12-year-old Shiek Farid, a boy in possession of his new Aadhar card and 35-year-old Mainul Haque were killed in the police firing at Darrang district in Assam.

Both these victims and countless others were among many accused of being illegal immigrants encroaching on the state's land in response to which the open firing by the police commenced.

The eviction also witnessed a state photographer hired by the district in question to document the eviction drive. A video which went viral showed the photographer, Bijoy Bania attacking an already injured Mainul Haque who was one among the many shot in the firing incident.

The Assam police remark that the protestors launched an attack that led to the clash causing many unconfirmed deaths and injuries but the protestors claim otherwise. In fact, it has time and again been reported that many people who were being evicted and castaway as illegal Bangladeshis, held valid Aadhaar cards and were enrolled in the National Registry of Citizens.

Speaking to Siasat.com, civil rights activist Teesta Setalvad noted that 95% of the evictees were legal citizens. "Bengali speaking Hindus with several years of residency live in Assam as do 70 lakh Muslims with a similar history in the state. Unfortunately, they have been ill-treated on suspicion of being Bangladeshis and their human rights have been violated."

Communist Party of India (Marxist) leader Brinda Karat however remarks that the eviction was carried out specifically to target Muslims. Speaking about the eviction drive which resulted in either the demise or the eviction of residents in Assam, Karat noted that "The eviction was unconstitutional and a gross violation of human rights and meant to specifically target one community alone."

SIASAT, Online, 17.10.2021
Page No. 0, Size:(18.39)cms X (22.30)cms.

Inaction of NHRC

The major point of contention currently is considering the inaction of the government and opposition leaders (at the Center or in Assam), does the National Human Rights Commission (NHRC) plan on stepping in to rectify the issue?

On September 26, the NHRC already received flack from Trinamool Congress chief and West Bengal CM Mamata Banerjee for not intervening and aiding the evictees. “Where is the NHRC? Did they come? If anything happens here, NHRC is promptly sent to Bengal.” she thundered.

Discussing NHRC Chairman Arun Mishra’s speech at the 28th foundation day of the Commission, Karat argued that it was ludicrous to celebrate the Central leadership considering the eviction drive.

Arun Mishra had remarked that “Home minister Amit Shah had ushered a new era of peace in Kashmir and North East.” Siding with the government at this point is particularly contentious considering the Bharatiya Janata Party ruling in Assam has turned a blind eye to the eviction.

A quick perusal by this reporter at the NHRC website regarding the eviction revealed two cases registered under the site’s complaints section. One complaint, in particular, raised the issue of Mainul Haque and Shiek Farid but the case status read “No action taken yet”.

Speaking to Siasat.com, NHRC director of media and communication, Jaimini Srivastava remarked that he does not know the details of specific complaints and as such would not be able to remark on the NHRC’s role in the Assam eviction.

Considering the lack of NHRC action, the very status of Arun Mishra as the Chairman is called into question, especially going by the statements he made recently. It is also worth mentioning that Mishra was notorious for delivering judgements in favour of the BJP establishment during his judgeship.

Where do we go from here?

Brinda Karat discussed with this reporter how the situation is getting progressively dire and the inaction of the NHRC is worrisome. “The women I met in the village had no space to defecate as they were rendered homeless. As a result, they were dealing with bowel-related ailments and further, the evictees used a cloth to filter water and were suffering from diarrhoea because of it. Does the Commission care about any of this?” she questioned passionately.

As things stand, the situation is yet to see an end even though the NHRC website reads that it is “an embodiment of India’s concern for the promotion and protection of human rights.”

With Assam’s history of floods and the ongoing COVID-19 pandemic, the evictees continue to lead precarious lives even as Arun Mishra and Prime Minister Narendra Modi continue to discuss “welfare in the North East”.

JANJWAR, Online, 17.10.2021
Page No. 0, Size:(17.75)cms X (22.73)cms.

## Modi On Human Rights :मानवाधिकारविहीन 'न्यूइंडिया' मांगतेपीएममोदी, अल्पसंख्यकमुस्लिमोंकेलिएखतरनाकबनताजारहाभारत

https://janjwar.com/vimarsh/pm-modi-wants-new-india-without-human-rights-selective-outrage-violation-of-rights-781472

Modi on human rights।भारतफिरसेसंयुक्तराष्ट्रकेमानवाधिकारपरिषद (UN Human Rights Council) कासदस्यपुनःनिर्वाचित (Re-Elected) होगयाहै, औरकमसेकमसोशलमीडियाइसेऐतिहासिकउपलब्धिकरारदेरहाहै।दरअसलअबवैश्विकमानवाधिकार (Global Human Rights) कीबागडोरउनहाथोंमेंसिमटगयीहैजोखुलेआममानवाधिकारकाहननकरतेहैंऔरइसेसहीसाबितकरनेकेलिएसंयुक्तराष्ट्रजैसेअंतर्राष्ट्रीयमंचोंकासहारालेतेहैं।संयुक्तराष्ट्रमें 14 अक्टूबरकोगुप्तमतदानद्वाराभारतसमेतअर्जेंटीना, बेनिन, कैमरून, एरिट्रिया, फ़िनलैंड, गाम्बिया, होंडुरस, कजाखस्तान, लिथुआनिया, लक्सम्बर्ग, मलेशिया, मॉन्टेंगरो, पैराग्वे, कतर, सोमालिया, संयुक्तअरबअमीरातऔरअमेरिकाकोवर्ष 2022 से 2024 तककेलिएचुनागयाहै।मानवाधिकारकौंसिलमेंकुल 47 सदस्यहोतेहैं।

डोनाल्डट्रम्प (Donald Trump) नेराष्ट्रपतिबनानेकेबादसेमानवाधिकारपरिषदसेनातातोड़दियाथा, परअबफिरसेइसकीवापसीहोगयीहै।संयुक्तराष्ट्रमेंअमेरिकाकीप्रतिनिधिलिंडाथॉमसग्रीनफील्ड (Linda Thomas Greenfield) नेकहाहैकिवहयेसुनिश्चितकरेंगीकिअफगानिस्तान, म्यांमार, चीन, इथियोपिया, सीरियाऔरयमनमेंमानवाधिकारहननपरपर्याप्तचर्चाकीजाए, सभीदेशोंमेंबुनियादीआजादीऔरमहिलाओंकेअधिकारों (Ensure Fundamental Freedom And Women's Rights) कोसुनिश्चितकियाजाए, धार्मिकअसहिष्णुता (religious Intolerance) परलगामलगे, सभीनागरिकोंकेलिएसमानकानून-व्यवस्थाकापैमाना (Radical And Ethnic Justice) हो, अल्पसंख्यकों (Minorities) केविरुद्धहिंसाऔरभेदभावरोकाजासके।लिंडाथॉमसग्रीनफ़ील्डनेयहभीकहाकिअमेरिकायहसुनिश्चितकरेगाकिमानवाधिकारकेसन्दर्भमेंदागीदेशइसपरिषद्केसदस्यनहींबनसकें।

लिंडाथॉमसग्रीनफ़ील्डकेबयानकिसीप्रवचनसेकमनजरनहींआते, परयदिइसबयानकेबादभीभारतलगातारइसकौंसिलकासदस्यभारीमतोंसेनिर्वाचितहोताजारहाहैतबयहसमझलेनाचाहिएकिपूरीदुनियामेंमानवाधिकारकीपरिभाषाहीबदलगयीहैऔरमानवाधिकारबसप्रवचनोंतकहीसिमटकररहगयाहै।सामाजिकविकास, भूख, मानवाधिकार, प्रेसकीआजादीऔरव्यक्तिगतआजादीसेसम्बंधितदुनियाकेजितनेइंडेक्सहैं, सबमेंभारतसबसेपिछड़ेदेशोंकीकतारमेंखड़ाहै – यदिइसतथ्यकोनकारभीदेंतबभीलिंडाथॉमसग्रीनफ़ील्डकोइतनातोपताहीहोगाकिहरेकवर्षअमेरिकीकांग्रेसकी

धार्मिकआजादीऔरमानवाधिकारसेसम्बंधितकमेटीभारतमेंइसकेलगातारहननसेसम्बंधितरिपोर्टप्रकाशितकरतीहै।

एकऐसादेशजहांअपनेअधिकारकीमांगकरतेलोगकुचलकरमारदिएजातेहैंऔरकुचलनेवालेकोपुलिस, प्रशासन, राज्यऔरकेंद्रकीसरकारेंबचानेमेंजुटजातीहैं।एकऐसादेशजहांसरकारकीनीतियोंकाविरोधकरनेवालोंकोदेशद्रोहीबताकरजेलमेंअनंतकालकेलिएठूंसदियाजाताहै, एकऐसादेशजहांसरकारअपनेराजनैतिकफायदेकेलिएधार्मिकउन्मादपैदाकरदंगेभीकरवादेतीहै, एकऐसादेशजहांकोविड 19 कीलहरनेदेशकोश्मशानमेंबदलडालाथाऔरसरकारउत्सवऔरजश्नमनातीरही – वैश्विकमानवाधिकारकारखवालाहै।अमेरिकाकेकाटोइंस्टिट्यूटऔरकनाडाकेफ्रासेरइंस्टिट्यूटद्वारासंयुक्ततौरपरप्रकाशितह्यूमनफ्रीडमइंडेक्स 2020 (Human Freedom Index 2020 by US Based Cato Institute and Canada Based Fraser Institute) मेंकुल 162 देशोंकीसूचिमेंभारतकास्थान 111वांथा, जोवर्ष 2019 केइंडेक्सकीतुलनामें 17 स्थाननीचेथा।

देशभर 12 अक्तूबरको 28वांराष्ट्रीयमानवाधिकारआयोग (National Human Rights Commission) स्थापनादिवसमनायागया, इसमौकेपरप्रधानमंत्रीनरेंद्रमोदी (Narendra Modi) नेभीवीडियोकॉन्फ्रेंसकेजरिएलोगोंकोसंबोधितकरतेहुएकहाकिकईमौकेआएजबदुनियाभटकीपरभारतनेहमेशामानवाधिकारोंकोसर्वोपरिरखा।

उन्होंनेविपक्षपरहमलाकरतेहुएकहाकिमानवाधिकारकाबहुतज्यादाहननतबहोताहैजबउसेराजनीतिकरंगसेदेखाजाताहै, राजनीतिकचश्मेसेदेखाजाताहै, राजनीतिकनफा-नुकसानकेतराजूसेतौलाजाताहै।इसतरहकासेलेक्टिवव्यवहार, लोकतंत्रकेलिएभीउतनाहीनुकसानदायकहोताहै।पीएममोदीनेकहाकिहालकेवर्षोंमेंमानवाधिकारकीव्याख्याकुछलोगअपने-अपनेतरीकेसे, अपने-अपनेहितोंकोदेखकरकरनेलगेहैं।एकहीप्रकारकीकिसीघटनामेंकुछलोगोंकोमानवाधिकारकाहननदिखताहैऔरवैसीहीकिसीदूसरीघटनामेंउन्हींलोगोंकोमानवाधिकारकाहनननहींदिखता।प्रधानमंत्रीमोदीनेकहाकिभारतनेलगातारविश्वकोसमानताऔरमानवअधिकारोंकेजुड़ेविषयोंपरनयाविजनदियाहै।बीतेदशकोंमेंऐसेकितनेहीअवसरविश्वकेसामनेआएहैं, जबदुनियाभ्रमितहुईहै, भटकीहै, लेकिनभारतमानवाधिकारोंकेप्रतिहमेशाप्रतिबद्धरहाहै, संवेदनशीलरहाहै।

प्रधानमंत्रीमोदीनेकहाकिआजदेश 'सबकासाथ, सबकाविकास, सबकाविश्वासऔरसबकाप्रयास' केमूलमंत्रपरचलरहाहैऔरयेएकतरहसेमानवअधिकारकोसुनिश्चितकरनेकीहीमूलभावनाहै।जिसपक्षपातपूर्णमानवाधिकार (Biased Human Rights) कीविस्तारसेचर्चाप्रधानमंत्रीकररहेथे, दरअसलवहबीजेपीसरकारऔरमोदी/शाहकीहीदेनहै, भारतसमेतदुनियामेंइसदौरमेंपूंजीपतियोंकीबैसाखीकेसहारेखडीदक्षिणपंथीऔरसत्ता-भोगीसरकारोंकावर्चस्वहै।

जाहिरहै, ऐसीसरकारोंकेलिएलोकतंत्र, पर्यावरण-संरक्षण, अभिव्यक्तिकीस्वतंत्रताऔरमानवाधिकारजैसेमुद्दोंकेकोईमायनेनहींहैं।हालमेंहीफ्रंटलाइनडिफेंडर्स (Frontline Defenders) नामकसंस्थाद्वाराप्रकाशितरिपोर्ट, 'ग्लोबलएनालिसिस 2020' (Global Analysis 2020) केअनुसारमानवाधिकारकार्यकर्ताओंकीहत्याकेमामलेमेंभारतदुनियामें 10वेंस्थानपरहैऔरइससन्दर्भमेंदेशकीस्थितिचीन, डेमोक्रेटिकरिपब्लिकऑफ़कांगो, लीबिया, पाकिस्तानऔरसीरियासेभीबदतरहै।इसरिपोर्टकेअनुसारपिछलेवर्ष, यानि 2020 मेंदुनियाकेकुल 25 देशोंमें 331 मानवाधिकारकार्यकर्ताओंकीहत्याकीगई, जबकिवर्ष 2019 में 31 देशोंमें 304 कार्यकर्ताओंकीहत्याकीगईथी।

वर्ष 2020 के 25 देशोंमेंभारतभीशामिलहै।यहीनहींबल्किरिपोर्टमेंयहभीबतायागयाहैकिदुनियाकेबहुतसारेदेशोंमेंइनकार्यकर्ताओंकोपीटाजारहाहै, बेवजहहिरासतमेंलियाजारहाहैऔरउनपरबिनाकिसीसबूतकेआपराधिकमुकदमेचलायेजारहेहैं।ऐसेदेशोंकीचर्चामेंभारतऔरचीनकाविशेषउल्लेखहै।मानवाधिकारकार्यकर्तासामाजिकन्याय, पर्यावरणीयमुद्दों, नस्लभेदऔरलैंगिकसमानताकेक्षेत्रमेंकामकररहेहैं, परदुनियाभरमेंकीगईकुलहत्याओंमेंसे 69 प्रतिशतकासरोकारपर्यावरणसंरक्षण, जमीनसेजुड़ेमसलोंऔरआदिवासियोंकेअधिकारोंसेथा।

कुल 331 हत्याओंमेंसेलगभगतीन-चौथाईदक्षिणअमेरिकीदेशोंमेंकीगईहैं।दसाउथएशियाकलेक्टिव (The South Asia Collective) नामकसंस्थानेहालमेंही 'साउथएशियास्टेटऑफमाइनॉरिटीजरिपोर्ट 2020' (South Asia – State of Minorities 2020) कोप्रकाशितकियाहैऔरइसकेअनुसारभारतलगातारअल्पसंख्यकमुस्लिमोंकेलिएखतरनाकबनताजारहाहैऔरइनपरहिंसाऔरअत्याचारबढ़तेजारहेहैं।

कुल 349 पृष्ठोंकीइसरिपोर्टमेंमानवाधिकारकार्यकर्ताओं, विशेषतौरपरमुस्लिमकार्यकर्ताओं, कीदयनीयस्थितिकीभीचर्चाकीगईहै।इसरिपोर्टकेअनुसारअल्पसंख्यकोंमेंमामलेमेंदक्षिणएशियाकेहरेकदेश – भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपालऔरभूटान – कीस्थितिएकजैसीहैऔरअल्पसंख्यकोंकेउत्पीडनकेसन्दर्भमेंमानोंइनदेशोंमेंहीआपसीप्रतिस्पर्धारहतीहै।

साउथएशियाफ्रीमीडियाएसोसिएशन (Free Media Association) केसेक्रेटरीजनरलइम्तिआजआलमकेअनुसारइनसभीदेशोंमेंधार्मिकऔरजातीयअल्पसंख्यकोंकालगातारउत्पीडनकियाजाताहै, औरभारतकीस्थितिइससन्दर्भमेंपाकिस्तानयाअफ़ग़ानिस्तानसेकिसीभीस्थितिमेंबेहतरनहींहै।दक्षिणएशियाकेलगभगसभीदेशोंमेंलोकतंत्रकेनामपरफासिस्टसरकारोंकाकब्ज़ाहैजोविशेषतौरपरजनताकेअभिव्यक्तिऔरआन्दोलनोंकेसंवैधानिकअधिकारोंकाहिंसकहननकरनेमेंलिप्तहैं।

JANJWAR, Online, 17.10.2021
Page No. 0, Size:(17.75)cms X (22.73)cms.

रिपोर्टकेअनुसारभारतमेंजबकेंद्रसरकारनेनेशनलरजिस्टरऑफसिटीजन्सलागूकियातभीनिष्पक्षसोचवालीजनता, निष्पक्षमीडिया, शिक्षाविदों, मानवाधिकारकार्यकर्ताओंनेसमझलियाथाकियहदेशमेंअधिकतरमुस्लिमोंकोबेघरकरनेकीकवायदहै।

इसकेबादनागरिकताक़ानूनपरदेशभरमेंआन्दोलनकियेगए, जिसकेअनुसारकेवलमुस्लिमोंकोछोड़करशेषसभीअवैधतरीकेसेदेशमेंअफगानिस्तान, पाकिस्तानऔरबांग्लादेशसेघुसपैठकरनेवालोंकोनागरिकतादीजायेगी।इसदौरानसरकारकीनीतियोंकेआलोचकों, विशेषतौरपरमुस्लिमोंकोसरकारीतंत्रऔरकट्टरवादीसरकारसमर्थकसमूहोंनेउत्पीडितकिया।इसदौरमेंकेवलमंत्रीऔरबीजेपीकेदूसरेनेताओंनेहीनहीं, बल्किस्वयंप्रधानमंत्रीनेभीऐसेभाषणदिए, जोनिश्चिततौरपर "भड़काऊभाषण" कीश्रेणीमेंथे।

रिपोर्टमेंबतायागयाहैकिभारतसरकारनेफॉरेनकॉन्ट्रिब्यूशनएक्टकाइस्तेमालमानवाधिकारऔरअल्पसंख्यकोंकेलिएकामकरनेवालेगैर-सरकारीसंगठनोंकेविरुद्धएकहथियारकेतौरपरकिया, औरसमाचारमाध्यमोंपरएकअघोषितसेंसरशिपथोपदी।फरवरीकेदिल्लीदंगोंमेंभीअल्पसंख्यकोंकोनिशानाबनायागया, औरइसकेबादअप्रैलमेंतबलीगीजमातकोकेवलमुस्लिमहोनेकेकारण, कोविड 19 कादोषीकरारदियागया।इसमेंसरकारऔरमीडियाकीभागीदारीएकजैसीहै।लगातारपिछले 7 वर्षोंसेप्रधानमंत्रीजोकहतेजारहेहैं, दरअसलसमाजमेंउसकाअसरठीकउल्टाहोरहाहै, परअभीजनताकोशायदयहसमझमेंनहींआयाहै।

AMAR UJALA, Online, 17.10.2021
Page No. 0, Size:(18.35)cms X (11.67)cms.

## मुंबईक्रूजड्रगकेसमामलेमेंमानवाधिकारआयोगमेंकीशिकायत

https://www.amarujala.com/uttar-pradesh/rampur/complaint-to-human-commision-rampur-news-mbd4063933119

रामपुर।मुंबईमेंक्रूजड्रगकेसमामलेमेंगिरफ्तारकिएगएबॉलीवुडअभिनेताशाहरूखखानकेबेटेआर्यनखानकोलेकरनगरनिवासीएकआरटीआईएक्टिविस्टनेमानवाधिकारआयोगमेंशिकायतकीहै।

रामपुरकेमॉडलकालोनीनिवासीआरटीआईएक्टिविस्टदानिशखांनेराष्ट्रीयमानवाधिकारआयोगमेंशिकायतकीहैकितीनअक्तूबरकोमुंबईसेगोवाजारहेलग्जरीक्रूजशिपकोर्डेलियामेंएनसीबीनेछापामारीकीथी।जहांसेएनसीबीनेबालीवुडअभिनेताशाहरूखखानकेबेटेआर्यनखानसमेतकईअन्यलोगोंकोगिरफ्तारकियाथा।

आरोपहैकिआर्यनखानकेपाससेनतोड्रग्समिलीथीऔरनहीकैश।इसकेबावजूदउन्हेंगिरफ्तारकियागयाहै।दानिशखांनेएनसीबीकीकार्रवाईपरसवालउठातेहुएमानवाधिकारआयोगमेंशिकायतकीहै,
जोकिआयोगकोप्राप्तहोगईहै।संवाद

SWATANTRA PRABHAT, Online, 17.10.2021
Page No. 0, Size:(18.03)cms X (24.05)cms.

## राष्ट्रीयमानवाधिकारअध्यक्षहीजबसरकारकेकसीदेपढ़ेगातोकहांसुरक्षितरहेगामानवाधिकार।

https://swatantraprabhat.com/news/when-the-national-human-rights-president-reads-the-words-of/cid5543419.htm

पत्रकारों, दलितों, मुसलमानोंऔरसरकारकीआलोचनाकरनेवालोंकोतेज़ीसेपरेशान, उत्पीड़ितऔरगिरफ्तारकियाजारहाहै।

एकओरप्रधानमंत्रीनरेंद्रमोदीनेयहकहतेहुएविपक्षपरनिशानासाधाहैकिकुछचुनिंदालोगअपनेरवैयेसेमानवाधिकारकेनामपरदेशकीछविकोनुकसानपहुंचारहेहैं।उनकीहाँमेंहाँमिलातेहुएराष्ट्रीयमानवाधिकारआयोग (एनएचआरसी) केअध्यक्षजस्टिसअरुणमिश्रानेभीकहाकिभारतपरबाहरीताकतोंकेइशारेपरमानवाधिकारोंकेउल्लंघनकाआरोपलगानेकाएकनयानियमबनगयाहै।वहींदूसरीऔरअंतरराष्ट्रीयमानवाधिकारसंगठनह्यूमनराइट्सवॉचकीताज़ारिपोर्टमेंकहागयाहैकीदेशमेंबीजेपीराजमेंमानवाधिकारकार्यकर्ताओं, पत्रकारों, दलितों, मुसलमानोंऔरसरकारकीआलोचनाकरनेवालोंकोतेज़ीसेपरेशान, उत्पीड़ितऔरगिरफ्तारकियाजारहाहै।

ह्यूमनराइट्सवॉचकीरिपोर्टकेअनुसारजम्मूऔरकश्मीरमेंसैकड़ोंलोगोंकोबिनाकिसीदोषकेलोकसुरक्षाकानूनकेतहतहिरासतमेंरखागया, जोदोसालतकसुनवाईकेबिनाहिरासतमेंरखनेकीअनुमतिदेताहै।संयुक्तराष्ट्रमानवाधिकारसंगठन, अमेरिकीकांग्रेस, यूरोपियनयूनियन, आर्गेनाईजेशनऑफ़इस्लामिककन्ट्रीजभारतमेंमानवाधिकारऔरबोलनेकीआज़ादीकोलेकरचिंताव्यक्तकरचुकेहैं।संयुक्तराष्ट्रनेजम्मूऔरकश्मीरमेंमानवाधिकारोंकेउल्लंघनपरचिंताव्यक्तकीथी, वहींनागरिकताकानूनकेविरोधमेंगिरफ्तारमानवाधिकाररक्षकोंकोतुरंतरिहाकरनेकाआग्रहकियाथा।

प्रधानमंत्रीनरेंद्रमोदीनेराष्ट्रीयमानवाधिकारआयोग (एनएचआरसी) के 28वेंस्थापनादिवसकार्यक्रममेंकहाकिकुछचुनिंदालोगअपनेरवैयेसेमानवाधिकारकेनामपरदेशकीछविकोनुकसानपहुंचारहेहैं।पीएममोदीनेकहाकिहालहीमेंकुछलोगोंनेअपनेस्वार्थकेलिएमानवाधिकारोंकीव्याख्याअपनेदृष्टिकोणसेकरनाशुरूकरदियाहै।उल्लंघनकोएकस्थितिमेंदेखनेकीप्रवृत्तिनेसमानस्थितिमेंनहींबल्किमानवाधिकारोंकोकाफीहदतकनुकसानपहुंचायाहै।सबसेबड़ामानवाधिकारोंकाउल्लंघनतबहोताहैजबउन्हेंराजनीतिऔरराजनीतिकलाभऔरहानिकेचश्मेसेदेखाजाताहै।यहचयनात्मकव्यवहारहमारेलोकतंत्रकेलिएहानिकारकहै।

पीएममोदीनेकहाकिअपनेचयनात्मकदृष्टिकोणकेसाथकुछलोगहैंजोमानवाधिकारकीरक्षाकेनामपरदेशकीछविकोनुकसानपहुंचातेहैं।हमेंउनसेसावधानरहनेकीजरूरतहै।प्रधानमंत्रीनेयहभीकहाकियहसमझनाजरूरीहैकिमानवाधिकारकेवलअधिकारोंसेनहींजुड़ाहै, बल्कियहहमारेकर्तव्योंकाभीविषयहै।यहरेखांकितकरतेहुएकिअधिकारऔरकर्तव्यदोरास्तेहैंजिनपरमानववि

कासऔरमानवगरिमाकीयात्राहोतीहै,
उन्होंनेजोरदेकरकहाकिकर्तव्यभीअधिकारोंकेसमानहीमहत्वपूर्णहैंऔरअलग-अलगकरकेनहींदेखाजानाचाहिएक्योंकिवेएकदूसरेकेपूरकहैं।

एनएचआरसीकेअध्यक्षजस्टिसअरुणमिश्रानेकहाकिबेहदलोकप्रियऔरमेहनतीपीएममोदीकायहांस्वागतकरतेहुएउन्हेंगर्वमहसूसहोरहाहै।न्यायमूर्तिअरुणमिश्रानेकहा,
“आजभारतएकविश्वशक्तिकेरूपमेंसामनेआयाहैऔरउसेअपनीनईपहचानमिलीहै।इसकाश्रेयनागरिकों, देशकेनेतृत्वऔरसंवैधानिकतंत्रकोजाताहै” ।गृहमंत्रीअमितशाहकास्वागतकरतेहुएन्यायमूर्तिमिश्रानेकहाकिआपकेप्रयासोंसेजम्मू-कश्मीरऔरदेशकेउत्तर-पूर्वीहिस्सेमेंअब
‘शांतिऔरकानूनव्यवस्था’ काएकनयायुगशुरूहोगयाहै।उन्होंनेकहाकिभारतमानवाधिकारोंकेसंरक्षणकेमामलेमेंअग्रणीहैक्योंकिइसनेकईऐसीयोजनाएंलागूकीहैंजोदेशकेनागरिकोंकेकल्याणकेलिएहैं।

जस्टिसअरुणमिश्रानेमानवाधिकारदिवसपरप्रधानमन्त्रीऔरगृहमंत्रीकीप्रशस्तिकाबखानकरनेकेलिएसारीहदेंपारकरदीहैं।पूरेविश्वमेंऔरहमारेदेशमेंभीमानवाधिकारोंकासबसेबड़ाअपराधी
‘स्टेट’ यानिसरकारहै।निवारकनिरोधकानूनोंकादुरुपयोग, राजद्रोह, राजनीतिकविरोधियों, छात्रों, महिलाओंऔरआदिवासियोंकेखिलाफयूएपीएप्रावधान,
आरोपपत्रयामुकदमादायरकिएबिनाउन्हेंएकसाथकैदमेंरखना,
स्टेटद्वाराकिएगएबुनियादीमानवाधिकारउल्लंघनहैं।मानवाधिकारदिवसकोदंडकानूनोंकेखुलेआमउल्लंघनकेलिएस्टेटकेप्रमुखोंकोतैयारकरनेकेअवसरकेरूपमेंउपयोगकरनेकेबजाय,
जस्टिसअरुणमिश्रानेस्तरहीनताकीपराकाष्ठाकरदी।

ह्यूमनराइट्सवॉचकिरिपोर्टकेमुताबिकसाल 2020 मेंमोदीसरकारनेजम्मूऔरकश्मीरकेमुस्लिम-बहुलक्षेत्रोंपरकठोरऔरभेदभावपूर्णप्रतिबंधलगानाजारीरखा।केंद्रसरकारनेअगस्त 2019 मेंजम्मूकश्मीरकीसंवैधानिकस्थितिकोरद्दकरकेइसेदोकेंद्रशासितक्षेत्रोंमेंबाँटदियाथा।जम्मूऔरकश्मीरमेंसैकड़ोंलोगोंकोबिनाकिसीदोषकेलोकसुरक्षाकानूनकेतहतहिरासतमेंरखागया,
जोदोसालतकसुनवाईकेबिनाहिरासतमेंरखनेकीअनुमतिदेताहै।इसीतरहसुरक्षाकेनामपरइंटरनेटपरपाबंदीअगस्त 2019 सेहीजारीरहीजिससेघाटीमेंलोगोंकोख़ासानुक्सानहुआ।

ह्यूमनराइट्सवॉचकाकहनाहैकिमोदीराजमेंअल्पसंख्यकों,
खासकरमुसलमानोंकेखिलाफहमलेजारीहैंजबकिउनभाजपानेताओंऔरसमर्थकोंकेखिलाफकार्रवाईनहींहुईहैजिन्होंनेमुसलमानोंकीछविख़राबकीयाउनकेखिलाफहिंसाकी।रिपोर्टमेंदिल्लीदंगोंकाजिक्रकरतेहुएकहागयाहैकिज्यादातरपीड़ितमुस्लिमपरिवारसेथेजबकिकपिलमिश्राजैसेभड़काऊभाषणदेनेवालेबीजेपीनेतापरकोईकार्रवाईनहींहुई।

दलितउत्पीड़नकेमामलोंकाहवालादेतेहुएरिपोर्टमेंकहागयाहैकिबीजेपीराजमेंदलितोंकेखिलाफअत्याचार 7 फीसदीतकबढ़गयाहै।लॉकडाउनमेंभीहाशियेपररहनेवालेसमुदायोंकोहीसबसेज्यादानुक्सानहुआजिन्हेंउसदौ

रानरोज़गार, खाना-रहनाजैसेज़रूरतोंसेवंचितहोनापड़ा।कईपत्रकारोंकोकोविड -19 पररिपोर्टिंगकेलिएआपराधिकमामलोंमेंगिरफ्तारी, धमकीयायहांतककिबीजेपीसमर्थकोंऔरपुलिसद्वाराहमलेकासामनाकरनापड़ा।कईमामलोंमें, वेग्रामीणभारतमेंकामकरनेवालेस्वतंत्रपत्रकारथे, जोसरकारकीमहामारीसेनिपटनेकीआलोचनाकेलिएनिशानेपरआये।

AMAR UJALA, Gurgaon, 17.10.2021
Page No. 8, Size:(8.39)cms X (18.38)cms.

# मानवाधिकार आयोग में एनएचएआई तलब

संवाद न्यूज एजेंसी

**नगीना।** अलग प्रदेश बनने के बाद सरकारें भले ही बदलती रही हों, लेकिन नगीना, पिनगवां को मुख्यधारा में लाने के लिए जमीनी स्तर पर काम नहीं किया गया। ये बातें उन तमाम विधायक और मंत्रियों पर भी लागू होती हैं, जो यहां से चुनकर हरियाणा विधानसभा पहुंचे।

ऐसे गंभीर आरोप क्षेत्र की जनता ने लगाए हैं। ताजा मामला दिल्ली से मुंबई को जोड़ने वाले ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का है। इसमें नगीना पिनगवां स्टेट हाईवे पर मरोड़ा गांव में कट नहीं दिया जा रहा है। इसको लेकर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में एक याचिका दायर की गई है। इस पर आयोग ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को तलब किया है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) को सोमवार को जवाब देना है। इतना ही नहीं, दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे

## दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर मरोड़ा में कट नहीं देने का मामला

में कट देने के लिए पिछले साल मरोड़ा में हरियाणा दिवस पर 1 से 23 नवंबर तक आंदोलन हुआ था। तब हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के आश्वासन एवं घोषणा के बाद क्षेत्रवासी मान गए थे। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में याचिका 5 अक्तूबर को दर्ज हुई थी। जिला उपायुक्त कैप्टन शक्ति सिंह ने कहा कि दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर मरोड़ा में कट देने के लिए एनएचएआई की तकनीकी टीम से बात हुई है, उनके जवाब का इंतजार है।

फिरोजपुर झिरका से पहाड़ी स्टेट हाइवे के बीच तिगरा, चिलावली में कट दिया गया है। केवल तिजारा से नगीना, पिनगवां, पुन्हाना वाया होडल स्टेट हाईवे पर कट नहीं दिया है। - **सलीम, सरपंच बसईखांजादा**

सामाजिक संगठनों के मार्फत एक याचिका राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में डाली है, जिस पर एनएचएआई को तलब किया गया है। इस पर एनएचएआई कोसोमवार को जवाब देना होगा। - **जवाहर ग्रोवर, नगीना**

JANSATTA, Delhi, 17.10.2021
Page No. 6, Size:(19.75)cms X (16.80)cms.

# नजर नजर का फेर

## वक़्त की नब्ज़

■ तवलीन सिंह

पिछले सप्ताह प्रधानमंत्री ने मानवाधिकारों पर एक प्रवचन सुनाया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अट्ठाईसवें स्थापना दिवस पर दिया था यह प्रवचन। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी नजरों में मानवाधिकारों के बहाने देश को बदनाम किया जाता है। आगे यह भी कहा कि मानवाधिकारों का महत्त्व तभी मायने रखता है, जब जनता की बुनियादी जरूरतें पूरी हो जाएं। उनकी इस बात को सुन कर कई राजनीतिक पंडितों को चिंता होने लगी है कि क्या अब राजनेता तय करेंगे कि मानवाधिकारों का हनन कब होता है? निजी तौर पर मुझे चिंता ज्यादा होने लगी, जब प्रधानमंत्री के भाषण के कुछ दिन बाद एनसीबी (नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो) के किसी प्रवक्ता ने अदालत में कहा कि ड्रग्स के मामलों में माना जाता है कि अभ्युक्त तब तक दोषी होते हैं, जब तक वे अपने आप को निर्दोष नहीं साबित कर देते। तो क्या आर्यन खान को जेल में तब तक रखा जाएगा, जब तक वे अपने आपको निर्दोष नहीं साबित कर पाते हैं? क्या जमानत मिलना अब अधिकार नहीं रहा?

ऐसे वातावरण में लोगों को मानवाधिकारों की चिंता नहीं होगी, तो कब होगी? ऐसे देश में जहां ज्यादातर लोग पहुंच नहीं पाते हैं अदालतों तक, मानवाधिकारों की चिंता होना आवश्यक है। ये ऐसे अधिकार हैं, जिनकी अहमियत हम आप तय करने का हक रखते हैं, राजनेता नहीं।

सर्वोच्च न्यायालय ने जमानत को अधिकार माना है और स्पष्ट किया है कि जमानत सिर्फ उनको नहीं मिलनी चाहिए, जो गायब हो सकते हैं या जो गवाहों पर दबाव डाल सकते हैं। आर्यन खान के मामले में मुख्य गवाह हैं भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता, जिन पर जाहिर है वे दबाव नहीं डाल सकेंगे। रही गायब होने की बात, तो शाहरुख खान के बेटे का गायब होना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। तो जमानत क्यों नहीं मिली? इस नौजवान ने दशहरा मुंबई की आर्थर रोड जेल में बिताया, सिर्फ इसलिए कि एनसीबी ने जमानत का निराधार विरोध किया।

मीडिया में चल रहे इस मुकदमे में नया आरोप है कि अंतरराष्ट्रीय ड्रग्स तस्करों से आर्यन का वास्ता है, तो क्या महीनों रहना पड़ेगा उनको जेल में, क्योंकि इतना गंभीर आरोप लग चुका है? मुमकिन है कि ऐसा होगा। मुंबई की फिल्मी दुनिया में अफवाहें गरम हैं कि शाहरुख खान को दंडित करने के लिए ही उनके बेटे को फंसाया गया है। दंडित इसलिए कि शाहरुख उन मुट्ठी भर लोगों में से हैं, जिन्होंने नरेंद्र मोदी के सामने फर्शी सलाम नहीं किया है। प्रधानमंत्री के आलोचकों को दंडित करना दस्तूर बन गया है मोदी के राज में। जिन पत्रकारों ने उनकी कुछ ज्यादा आलोचना की है, उनके दफ्तरों पर छापर पड़े हैं आयकर वालों के और प्रधानमंत्री मिलते हैं सिर्फ दोस्ताना पत्रकारों से।

आलोचकों के साथ मोदी के राज में वैसा ही व्यवहार होता है, जो अपराधियों के साथ होना चाहिए। सो, दिल्ली दंगों के बाद कई छात्र जेल में बंद रहे हैं एक साल से ज्यादा, जिनको अभी तक आरोप-पत्र तक नहीं दिया गया है। इनमें से कुछ छात्रों को रिहा करते हुए जब दिल्ली की अदालत के एक साहसी जज ने दिल्ली पुलिस को फटकार लगाते हुए कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तो उनका तबादला कर दिया गया। सवाल यह है कि जब किसी को महीनों जेल में रखा जाता है बिना उस पर मुकदमा चलाए, तो क्या यह मानवाधिकारों का घोर हनन नहीं माना जा सकता है? प्रधानमंत्री ने ठीक कहा कि लोगों को बिजली, पानी, सड़क, रोटी, कपड़ा, मकान की ज्यादा जरूरत है, लेकिन शायद भूल रहे हैं मोदी कि आपातकाल के बाद मतदाताओं ने इंदिरा गांधी और उनके बेटे को सिर्फ इसलिए हराया था, क्योंकि उस दौरान लोगों के बुनियादी अधिकार छीन लिए गए थे।

आर्यन खान के पिता बालीवुड के बहुत बड़े सितारे हैं। बेटे के लिए अच्छे से अच्छे वकील रखने की क्षमता है उनके पास। इतनी अच्छी किस्मत उन लाखों नौजवानों की नहीं है, जिनको सालों हमारी जेलों में कैद रखा जाता है सिर्फ इसलिए कि वकीलों का पैसा नहीं दे सकते हैं। सर्वेक्षण बताते हैं कि मोदी जबसे प्रधानमंत्री बने हैं, यूएपीए(गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम) के तहत गिरफ्तारियां कई गुना बढ़ गई हैं। संसद में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए गृह राज्यमंत्री कृष्ण रेड्डी ने स्वीकार किया कि 2019 में ही गिरफ्तारियां बहत्तर फीसद बढ़ गई थीं। यही चीजें हैं, जिनसे बदनाम हुए हैं मोदी और वह भी ऐसे समय, जब अमेरिका के राष्ट्रपति मानवाधिकारों के उल्लंघन पर खास नजर रखे हुए हैं। मानवाधिकार सुरक्षित रहते हैं सिर्फ उन देशों में, जहां लोकतंत्र की जड़ें मजबूत होती हैं।

भारत में हुआ करती थीं बहुत मजबूत लोकतंत्र की जड़ें, लेकिन पिछले कुछ सालों में कमजोर हुई हैं, इसलिए कि मोदी के राज में मानवाधिकारों का जिक्र करना भी खतरे से खाली नहीं रहा है। मोदी के प्रवचन से स्पष्ट हुआ है कि वे खुद तय करना चाहते हैं कि ये अधिकार किसको देना चाहते हैं और किसको इनकी जरूरत नहीं है। सो, किसानों के बारे में कई बार कह चुके हैं मोदी के मंत्री, और मोदी खुद, कि ये किसान नहीं आतंकवादी हैं। जिन मुसलमानों ने नागरिकता कानून में संशोधन का विरोध किया था उनको भी आतंकवादी और 'आंदोलनजीवी' कहा गया है। यानी जो लोग मोदी सरकार की नीतियों से सहमत नहीं हैं या उनकी आलोचना करने की हिम्मत दिखाते हैं वे सब देश के दुश्मन हैं।

रही बात उस संस्था की, जो राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकारों की रक्षा के लिए बनाई गई है, तो अब उसके मुखिया हैं एक ऐसे न्यायाधीश, जिन्होंने प्रधानमंत्री के प्रवचन के पहले उनकी इतनी प्रशंसा की, जिससे साबित हुआ कि उनको इस पद पर क्यों रखा गया है। ऐसे वातावरण में लोगों को मानवाधिकारों की चिंता नहीं होगी, तो कब होगी? ऐसे देश में जहां ज्यादातर लोग पहुंच नहीं पाते हैं अदालतों तक, मानवाधिकारों की चिंता होना आवश्यक है। ये ऐसे अधिकार हैं, जिनकी अहमियत हम आप तय करने का हक रखते हैं, राजनेता नहीं।

JANSATTA, Delhi, 17.10.2021
Page No. 6, Size:(27.78)cms X (11.87)cms.

## दूसरी नज़र

■ पी चिदंबरम

# मानवाधिकार विरोधी म

प्रधानमंत्री ने कहा बताते हैं- 'हाल के वर्षों में कुछ लोग मानवाधिकार की व्याख्या अपने हितों को प्राथमिकता देने के लिए अपने अंदाज में करने लगे हैं। वे किसी एक घटना में मानवाधिकार उल्लंघन को देखते हैं, लेकिन उसी तरह की दूसरी घटना में उन्हें मानवाधिकार का उल्लंघन नहीं दिखता। इस तरह की मानसिकता मानवाधिकार को काफी नुकसान पहुंचाती है।' वे एकदम सही हैं।

संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1948 में मानवाधिकारों पर सार्वभौमिक घोषणापत्र को अंगीकृत किया था। इसमें उन अधिकारों और स्वतंत्रता के बारे में साफ-साफ कहा गया है, जिसके लिए हर इंसान समान और अपरिहार्य रूप से इसका हकदार है।

## बदतर स्थिति

इस दस्तावेज की प्रस्तावना में 1948 के वक्त के विश्व की हकीकत को रखा गया था। इस घोषणापत्र को न्यायोचित बताने की जरूरत इसलिए थी, क्योंकि मानवाधिकार की उपेक्षा और उनकी अवहेलना बर्बर रूप में सामने आ रही थी, जिसने इंसान के अवचेतन को झकझोर कर रख दिया था। जो 1948 में सच था, वही आज 1921 में है। कुछ देशों में यह स्थिति जरा बेहतर हो सकती है, लेकिन भारत सहित कई दूसरे देशों में यह निश्चित रूप से बदतर हुई है।

आइए, तीन अक्तूबर को उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में जो कुछ हुआ, उससे शुरुआत करें। संसद द्वारा लागू किए, वास्तव में जैसे-तैसे पास कराए गए, तीन कृषि कानूनों का किसान विरोध कर रहे थे। गाड़ियों का एक काफिला (जिसमें कम से कम दो की पहचान हो चुकी है) तेजी से प्रदर्शनकारी किसानों के पीछे से आया और चार प्रदर्शनकारियों को रौंद डाला। इसके बाद हिंसा भड़क उठी। कार में बैठे तीन लोगों को गुस्साई भीड़ ने पकड़ लिया और पीट-पीट कर मार डाला। एक पत्रकार भी मारा गया। सबसे आगे चल रहा वाहन केंद्र सरकार में गृह राज्यमंत्री का था। ऐसा आरोप है कि इस गाड़ी में सवार लोगों में एक उनका बेटा था।

इस घटना में मानवाधिकारों का उल्लंघन किया गया। मानवाधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र के घोषणापत्र का अनुच्छेद 19 कहता है- 'हरेक व्यक्ति को अपनी राय रखने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, इस अधिकार में बिना किसी दखल के राय रखने की आजादी भी शामिल है..।' इसी घोषणापत्र के अनुच्छेद 20 में कहा गया है कि 'हरेक को शांतिपूर्ण तरीके से इकट्ठा होने और मिलने की स्वतंत्रता है।' प्रदर्शनकारी किसान शांतिपूर्ण ढंग से जमा हुए थे और उनका मार्च कृषि कानूनों पर राय की अभिव्यक्ति का अधिकार था। इसी घोषणापत्र का अनुच्छेद तीन कहता है कि 'हर इंसान को जीवन, स्वतंत्रता और व्यक्ति की सुरक्षा का अधिकार हासिल है।' तेज रफ्तार गाड़ियों ने एक ही झटके में तीन लोगों की जान ले ली।

लखीमपुर खीरी में मानवाधिकारों के उल्लंघन की इस घटना पर प्रधानमंत्री आज तक चुप्पी साधे हुए हैं।

## कार्यकर्ता आतंकी हैं!

हम 2018 में लौटते हैं और महाराष्ट्र में भीमा कोरेगांव की घटना पर नजर डालते हैं। छह जून 2018 को पांच सामाजिक कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इन सभी पर जनवरी 2018 में भीमा कोरेगांव में जातीय हिंसा भड़काने का आरोप लगाया गया था। इनमें पांच वकील, एक अंग्रेजी की प्रोफेसर, एक कवि और प्रकाशक और दो मानवाधिकार कार्यकर्ता थे। ये सब अभी भी जेल में हैं। इनकी जमानत अर्जी बार-बार खारिज की जाती रही है। (28 अगस्त 2018 को पांच और सामाजिक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया था।)

वकील सुरेंद्र गाडलिंग ने साइबर कानून और मानवाधिकार का अध्ययन करने की इजाजत मांगी थी। उनके अनुरोध को खारिज कर दिया गया। अंग्रेजी की प्रोफेसर शोमा सेन को शिकायत के साल भर बाद कोठरी में कुर्सी मुहैया करवाई गई। गठिया के बावजूद उन्हें जमीन पर पतले गद्दे पर सोने को मजबूर किया गया। शुरुआती महीनों में उन्हें अपराधियों के साथ रखा गया। आंतों के अल्सर से पीड़ित मानवाधिकार कार्यकर्ता महेश राउत को उनके परिवार द्वारा लाई गई आयुर्वेदिक दवाइयां नहीं देने दी गईं। कवि और प्रकाशक सुधीर धवाले को उनके सहयोगियों और साथियों से इसलिए नहीं मिलने दिया गया था, क्योंकि वे उनके खून के रिश्ते वाले परिजन नहीं थे।

दो जनवरी, 2021 को एक पत्रकार प्रतीक गोयल ने अपने लेख में भीमा कोरेगांव मामले के आरोपियों के खिलाफ चल रही आपराधिक सुनवाई में कानून के सोलह उल्लंघनों का जिक्र किया था। इसमें बेहद अमानवीय ज्यादतियां देखने को मिलीं। जैसे- बिना वारंट तलाशी और जब्ती, बिना ट्रांजिट रिमांड के
करवाने से इंकार देना, कैदी
कैदी को मेडिकल रिपोर्ट देने
शौचालय मुहैया करवाने से
विवेकानंद की पुस्तकें मुहैया
दो दिन के भीतर ही मनमर्जी
सरकार के अंतर्गत है और जि
के हवाले कर देना, कैदी को
मना कर देना, आदि।

अन्य बातों के साथ-साथ
यह कहते हैं-

अनुच्छेद 5 : किसी भी व
व्यवहार या सजा नहीं दी जा

अनुच्छेद 9 : किसी को
निर्वासित नहीं किया जाएगा।

अनुच्छेद 10 : किसी भी
और निष्पक्ष पंचाट में निष्पक्ष

अनुच्छेद 11 : दंडनीय अ
तक वह सार्वजनिक सुनवाई
माना जाए...

जहां तक मेरी जानकारी है
मानवाधिकारों के बारे में एक
आरोपपत्र पेश करने में की
अभी तक शुरू नहीं हुई है।

मैं प्रधानमंत्री से पूरी तर
मानवाधिकार को भारी नुकस

DAINIK BHASKAR, BOKARO, 17.10.2021
Page No. 2, Size:(9.88)cms X (15.53)cms.

8 लेन के लिए कट गए थे हजारों पेड़

# मानवाधिकार आयोग ने दिया निर्देश- डीएफओ कार्रवाई करें

**धनबाद** | विश्व बैंक की मदद से काको मठ से गोल बिल्डिंग तक बन रही 8 लेन सड़क निर्माण के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने वन प्रमंडल धनबाद को कार्रवाई का निर्देश दिया है। आयोग ने सड़क चौड़ीकरण

के लिए हजारों पेड़ों को काटने पर संज्ञान लेते हुए यह आदेश जारी किया है। वार्ड 26 के पूर्व पार्षद निर्मल कुमार मुखर्जी ने आयोग को पत्र लिखकर शिकायत की थी कि सड़क चौड़ी करने के लिए हजारों हरे-भरे पेड़ काट डाले गए, जबकि उन्हें जड़ समेत उखाड़कर दूसरी जगह शिफ्ट करने की तकनीक हमारे पास मौजूद है। नगर निगम और शाज के अफसरों ने ऐसा नहीं किया और नए पौधे भी नहीं लगाए। यही नहीं, काटे गए पेड़ों की लकड़ियां कहां गईं, इसका भी पता नहीं चल रहा है। पूर्व पार्षद की इसी शिकायत पर आयोग ने डीएफओ को कार्रवाई का निर्देश दिया है।

DAINIK BHASKAR, Bhopal, 17.10.2021
Page No. 6, Size:(22.49)cms X (29.10)cms.

# मानवाधिकार उल्लंघन की शिकायत भी अब ऑनलाइन कर सकेंगे

**भोपाल**| अब कोई भी व्यक्ति मानवाधिकार उल्लंघन की ऑनलाइन शिकायत भी कर सकेगा। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग नई दिल्ली द्वारा मानव अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित शिकायतों के निराकरण के लिए आयोग में वर्तमान में इन तरीकों से शिकायतें की जा सकती हैं। इसमें ऑनलाइन पोर्टल www. hrcnet. nic in पर, टोल फ्री नम्बर 144334, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के मदद सेंटर में उपस्थित होकर लिखित शिकायत कर सकते हैं, इसके अलावा मोबाइल नंबर 9810298900 और नागरिक सेवा केंद्र (सीएससी) में 30 रुपए जमाकर अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। आयोग के अफसरों ने बताया कि ऑनलाइन व्यवस्था होने से लोगों को शिकायत करने के लिए दफ्तर नहीं जाना पड़ेगा। इससे लोगों की समय की बचत होगी।